(c) whether the procurement was done through a composite bid or through a Two-part bid; and

(d) in case it was through a Two-part bid, the mode of selecting the bidder?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes Sir,

(b) The Approximate value of the tender can not be ascertained at this stage as only technical bids have been opened and are under evaluation.

(c) It was a two part bid in two different covers namely technical and commercial.

(d) Based on the technical suitability, commercial offers will be opened and the

selection will be made from the bidders whose offer is considered the most tcchno-cconomic acceptable.

यात्री गाडियों के साथ जुड़े साधारण डिब्बे

1921. **श्री शिव चरण सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बंबई वीटी से चलने वाली 5/6 पंजाब मेल तथा पुणे से चलने वाली 177/178 झेलम एक्सप्रेस यात्री गाडियों मेम कितने साधारण डिब्बे जोड़े जाते है तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन डिब्बों में सीटों के उपलब्ध न होने के कारण क्या हजारों यात्रियों को अपनी यात्रा स्थागित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और यदि वे इन गाडियों से यात्रा करते है तो उन्हें होकर शयनयान में यात्रा करनी पड़ती है जिनमे चल टिकट निरीक्षक द्वारा उनसे अतिरिक्त प्रभार वसूले जाते है; और

(ग) यदि हां, तो साधारण डिब्बों की कमी को दूर करने के लिए ऐसे कितने डिब्बे जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारणं है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री राम नाईक**): (क) 2137/2137 पंजाब मेल में 4 सामान्य सवारी डिब्बे (2 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सामान एवं द्वितीय श्रेणी) है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के प्रवेश के संबंध में नीति

1922. **श्री राघवजी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या द्वितीय श्रेणी शयनयान में दिन के समय भी पुष्ट आरक्षण टिकट धारक यात्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी यात्री को प्रवेश न देने की नीति में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन किया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी शयनयान के टिकट केवल तभी दिए जाते है जब रेलवे स्टेशन पर आरक्षण हेतु बर्थ उपलब्ध हो, अन्यथा नहीं, यदि हां, तो इसके पीछे तर्काधार क्या है; और

(घ) क्या प्रत्येक गाडी में और अनरक्षित डिब्बे बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री राम नाइक**): (क) जी नहीं ।

(ख) स्लीपार श्रेणी जो द्वितीय श्रेणी से उच्चतर है, पूर्णटः आरक्षित श्रेणी है जो लंबी दूरियों के यात्रियों को आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है । अतः द्वितीय श्रेणी टिकट धारक को स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है ।

(ग) स्लीपर श्रेणी के लिए टिकट पुष्टिशुदा/ आर.ए.सी./ प्रतीक्षाआ सूचीबद्ध यात्रियों के लिए आग्रिम रूप से जारी किए जाते है । स्टेशन पर करेंट खिलाडियों पर चार्ट तैयार करने के बाद खाली शयिकाओं की सीमा तक टिकट जारी किए जाते है ताकि अधिक भीड़-भाड़ न हो ।

(घ) सवारी डिब्बों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए कुछ गाडियों में सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बे लगाने की योजना बनाई गई है ।

Conversion of Miyagam-Karjan-Dabhoi-Samlayar Railway Line into Broad Gauge

1923. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Miyagam-Karjan-Dabhoi-Samlayar narrow-gauge railway line was